



2

निगरानी 2378-PBR-15
रिविजन याचिका क्र. / 2015
प्रस्तुति दिनांक : 23.07.2015

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)
केम्प इंदौर के समक्ष

महादुरसिंह पिता देवीसिंह राजूपत
निवासी ग्राम सादलपुर तहसील
जिला धार म.प्र.

.....प्रार्थी

विरुद्ध

विष्णु पिता बाबूलाल पटेल कलौता
निवासी ग्राम सादलपुर तहसील व
जिला धार म.प्र.

..... प्रतिप्रार्थी

रिविजन याचिका अन्तर्गत धारा 50 एवं धारा 32 मध्यप्रदेश
भू-राजस्व संहिता

प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि :-

प्रार्थी यह रिविजन याचिका माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी धार जिला धार म.प्र. द्वारा मामला क्रमांक 49/अपील/2014-15 में
आदेश दिनांक 30.05.2015 जिसके माध्यम से माननीय अनुविभागीय
अधिकारी द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 35(3) म.प्र. भू-राजस्व
संहिता का निरस्त कर दिया गया, से असंतुष्ट होकर निम्न व अन्य आधारों
पर प्रस्तुत करता है कि :-

R 237 8-15/15 एम
वसाहती / विष्णु

पक्षकार
आ

15-9-2015

आवेदक की ओर से श्री
मोहन शर्मा आग्नेयभाष्य उपाधिका।
प्रकृत लेखन-प्रायाचन में प्रस्तुत
कारण हेतु वापिस किया जाता
है।

(Signature)
अधिस

मूल
सिद्ध